"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 424] रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 नवम्बर 2016— कार्तिक 30, शक 1938

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/2011/20-3. — नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 7 में, उप-नियम (5) में,-

(एक) खण्ड (क) में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द एवं चिन्ह "शासकीय सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के सभी उपलब्ध सीटों को, एक पूल में, एक साथ जोड़ा जायेगा" का लोप किया जाये.

(दो) खण्ड (ग) में,-

(क) शब्द "स्वयं सीधे प्रवेश नहीं दे सकेगी" के स्थान पर, शब्द "शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में प्रवेश दे सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) परन्तुक में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "प्रवेश की अंतिम तिथि अर्थात् 15 जून के पश्चात्" के स्थान पर, "शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात्" प्रतिस्थापित किया जाये.

(तीन) खण्ड (च) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह "संपूर्ण प्रक्रिया, प्रतिवर्ष 1 जून से 15 जून तक पूर्ण कर ली जायेगी" के स्थान पर, शब्द एवं चिन्ह "संपूर्ण प्रक्रिया, शासन द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति में पूर्ण कर ली जायेगी" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 13-73/2011/20-3. — In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 7, in sub-rule (5), -

(i) in clause (a), second proviso, the words and punctuation "All available seats of Government aided and unaided schools shall be combined together in a pool." shall be omitted.

(ii) in clause (c), -

(a) for the words "cannot give admission directly on its own", the words "can give admission in a manner as specified by the Government" shall be substituted; and

(b) in proviso, for the words, figures and symbol "after the last date for admission i. e. 15th June", the words "after the last date for admission as specified by the Government" shall be substituted.

(iii) in clause (f), for the words, figures and symbol "the entire process shall be completed from 1st June to the 15th June of every year", the words and symbol "the entire process shall be completed in a manner, as specified by the Government" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप भटनागर, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.